(५)

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 27/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्रीमती रामनाथीबाई बेवा मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
2–देवीशंकर पुत्र मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
3–नन्दकिशोर पुत्र मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
4–बालमुकुन्द पुत्र मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
5–सूरजमल पुत्र मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
6–गोबन्दीबाई पुत्री मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
7–रोशनबाई पुत्री मूलचन्द जाति–बैरवा निवासी ग्राम बमोरीकलां
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 13.05.2019

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 364 रकबा 0.93 है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल वर्तमान मे अप्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में दर्ज है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 293 मि. रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा है, जिसके सम्वत् 2044–63 जमाबन्दी में खातेदार श्री ग्यारसीराम आत्मज किशना जाति–चमार निवासी–बमोरीकलां के खाते दर्ज है। उक्त आराजी ख0नं0 293 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2014–23 में गै.मु.तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के पूर्वज को किया गया है तथा उक्त आराजो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(5)

है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर दिनांक 22.05.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरीकलां ख0नं0 293 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा प्रार्थीगण के दादा ग्यासरीराम वल्द किशना जाति—चमार निवासी बमोरीकलां को 80 साल पहले आवंटन हुयी थी तथा उनके मरने के बाद उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हुयी है। उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 364 रकबा 0.93 है0 बने है जिसपर प्रार्थीगण अपने दादा के समय से हीं काबिज काश्त चले आ रहे है। इस आराजी के आस—पास खेती होती है तथा यह आराजी खेतो के बीचो—बीच अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण काश्तकारी कर अपना व अपने परिवार का पालना पोषण करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व गलत रूप से कार्यवाहीं की गयी है। इस आराजी के अलावा अप्रार्थीगण के अन्य कोई आराजी नहीं है। उक्त आराजी की एक मात्र आजीविका का साधन है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं को निरस्त फरमाया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के दादा श्री ग्यारसीराम आ. किशना जाति—चमार निवासी—बमोरीकलां तह.मॉगरोल को ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा नम्बर मिन. 293 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई आवंटित हुयी थी। जिस वक्त अप्रार्थी को भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 364 रकबा 0.93 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी प्रथम दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के दादा श्री ग्यारसीराम पुत्र किशना जाति—चमार निवासी—बमोरीकलां तहसील—मॉगरोल को भूमिहीन कृषक होने से सरकार द्वारा ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा नम्बर मिन. 293 की रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि आवंटित हुयी है। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त योग्य थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.तलाई थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु.तलाई दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अपने दादा के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा बदस्तूर कब्जा है जिसपर अप्रार्थीगण काश्त करकर प्रतिवर्ष परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर खसरा नम्बर 364 रकबा 0.93 है0 बने है जो वर्तमान में सम्वत् 2069—72 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी मिल चुकी है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा 80 वर्ष पश्चात् अब्दुल हमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 अनुसार ख0नं0 मिन. 293 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के दादा श्री ग्यारसीराम पुत्र किशना जाति—चमा निवासी बमोरीकलां को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर खसरा नम्बर 364 रकबा 0.93 है0 किस्म नहर प्रथम बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण शामलाती खाते दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि आवंटित आराजी उसके खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। खातेदारी में भूमि दर्ज होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस परिपेक्ष्य में अप्रार्थी अभिभाषक का कथन हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है।

8— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के दादा श्री ग्यारसीराम आ. किशना जाति—चमार निवासी—बमोरीकलां को आवंटित आराजी सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2014—23 में आराजी ख0नं0 293 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(7)

वाके ग्राम बमोरीकलां किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 364 रकबा 0.93 है0 किस्म नहरी प्रथम बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 364 रकबा 0.93 है0 किस्म नहरी प्रथम, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 293 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 364 रकबा 0.93 है0, वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल किस्म नहरी प्रथम की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official